

2068

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या : /सात लाई 120/व्यव0/2017-18/सा0निर्देश/विज्ञप्ति/दे0दून, दिनांक 19 मई, 2017

विज्ञप्ति

आबकारी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 260/XXIII/2017/04(01)/2017 देहरादून : दिनांक 19 मई, 2017 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 (दिनांक 01.06.2017 से 31.03.2018 तक) हेतु घोषित आबकारी नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु सी0एल0-5सी (देशी शराब) तथा एफ0एल0-5 डी (विदेशी मदिरा एवं बियर) एवं एफ0एल0-5बी (बीयर) की फुटकर दुकानों का दिनांक 01.06.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि हेतु व्यवस्थापन किया जाना है, जिसके लिए निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है -

प्रथम चरण -

आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि
लाटरी की तिथि

26.05.2017 समय 05.00 बजे अपरान्ह तक
दिनांक 30.05.2017 प्रातः 10.00 बजे से आवंटन की प्रक्रिया
समाप्त होने तक

द्वितीय चरण -

आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि
लाटरी की तिथि


31.05.2017 समय 02.00 बजे अपरान्ह तक
दिनांक 31.05.2017 अपरान्ह 05.00 बजे से आवंटन की प्रक्रिया
समाप्त होने तक

तृतीय चरण -

आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि
लाटरी की तिथि

01.06.2017 समय 02.00 बजे अपरान्ह तक
दिनांक 01.06.2017 अपरान्ह 05.00 बजे से आवंटन की प्रक्रिया
समाप्त होने तक


आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रक्रिया एवं शर्तें उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट www.uk.gov.in, www.uttarakhandexcise.org.in से तथा सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। पृथक से जिला स्तर से अन्य कोई विज्ञप्ति निर्गत नहीं की जायेगी।


(युगल किशोर पन्त)
आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड।

संख्या : /सात लाई 120/व्यव0/2017-18/सा0निर्देश/विज्ञप्ति/दे0दून, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट www.uk.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. उपआबकारी आयुक्त, आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय को इस निर्देश प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट www.uttarakhandexcise.org.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. सम्पादक, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान एवं राष्ट्रीय सहारा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को सरकारी दर पर न्यूनतम सम्भव स्पेस में अपने सम्मानित समाचार पत्र में दिनांक 20.05.2017 के अंक में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में प्रकाशित कराते हुए विज्ञप्ति के बिल की प्रति भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


(युगल किशोर पन्त)
आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड।